

भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, सरायकेला

टी० ए० मिस वाद संख्या 206B/2015-16

परशुराम प्रमाणिक बनाम भागरथी महतो

:: आदेश ::

अभ्युक्ति


पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर

दिनांक

26-5-2018

अभिलेख उपस्थापित। बिक्रेता परशुराम प्रमाणिक पिता स्व० बुधु प्रमाणिक, ग्राम-बड़ा कुड़मा, थाना-खरसावां, जिला-सरायकेला-खरसावाँ ने पारिवारिक खर्च हेतु क्रेता भागरथी महतो, पिता स्व० योगेश्वर महतो, ग्राम-बड़ा कुड़मा, थाना-खरसावां, जिला-सरायकेला-खरसावाँ को निम्नांकित भूमि की बिक्री करने के लिए छोटानागपुर कस्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये थे। न्यायालय द्वारा निर्गत सूचना एवं आवेदन का अंचल अधिकारी द्वारा कोई प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया। आवेदक पक्ष की ओर से कोई पैरवी या रुचि नहीं लिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक का यथा आवश्यकता पूर्ण हो गयी है।

अतः ऐसे स्थिति में वाद को निस्तार किया जाता है। आवेदक यदि चाहे तो पुनः आवेदन समर्पित कर सकते हैं।


भूमि सुधार उप समाहर्ता,
सरायकेला।